JOURNAL OF MASS MEDIA AND MANAGEMENT

ISSN: 3049-3021 (Online)

Journal Website: www.jmmm.in

Research Article

SR: JMMM/09/2026

ISSUE:03

ऑनर किलिंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मानवता के युग में: मनोवैज्ञानिक, विधिक और मानवाधिकार दृष्टिकोण

विनीता अवस्थी, शोधार्थी विधि, विभाग मेजर, एस0डी0सिंह विश्वविद्यालय, फर्रुखाबाद

डॉ0 मयंक कुमार, सहा0 आचार्य, विधि विभाग, मेजर एस0डी0सिंह विश्वविद्यालय, फर्रुखाबाद

साराश

ऑनर किलिंग भारतीय समाज में एक गहन सामाजिक मनोवैज्ञानिक संकट है, जो पारिवारिक प्रतिष्ठा और परंपरागत मान्यताओं के नाम पर घटित होता है। यह अपराध न केवल जीवन की हानि करता है, बल्कि परिवार और समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य पर भी दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। भय, अपराधबोध, सामाजिक अलगाव और पीढ़ीगत आघात इसके प्रमुख मनोवैज्ञानिक परिणाम हैं। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन माना गया है, क्योंकि यह लैंगिक समानता, मानवाधिकारों की जागरूकता और तार्किक सोच को बढ़ावा देती है। विधिक सुधार भी उतने ही आवश्यक हैं। भारतीय दंड संहिता और अब Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 के प्रावधान ऑनर किलिंग को हत्या की श्रेणी में रखते हुए कठोर दंड का मार्ग प्रशस्त करते हैं। न्यायालयों ने भी बार बार इस अपराध की निंदा की है और पीड़ितों को संरक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया है। तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यह एक वैश्विक समस्या है, जिसे रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कठोर कानून और सामाजिक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) भी ऑनर किलिंग को रोकने में सहायक हो सकती है। AI आधारित डेटा विश्लेषण और पूर्वानुमान प्रणाली संभावित पीड़ितों की पहचान कर सकती है और सुरक्षा प्रदान कर सकती है। साथ ही, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म समाज में शिक्षा और जागरूकता फैलाने में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार AI और मानवता का समन्वय ऑनर किलिंग जैसी अमानवीय प्रथाओं को समाप्त करने में योगदान दे सकता है। अंततः यह शोधपत्र दर्शाता है कि ऑनर किलिंग को समाप्त करने के लिए शिक्षा, विधिक सुधार, मनोवैज्ञानिक परामर्श और तकनीकी नवाचार का समन्वय आवश्यक है। जब समाज में समानता, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की गहरी समझ विकसित होगी, तभी इस अमानवीय प्रथा का अंत संभव होगा।

कीवर्ड (Keywords): *ऑनर किलिंग, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, शिक्षा, विधिक सुधार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)*

प्रस्तावना

मानव सभ्यता के विकासक्रम में "सम्मान" (Honor) की अवधारणा सदैव सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण अंग रही है। किंतु जब यह सम्मान हिंसा और हत्या का कारण बन जाता है, तब यह मानवता के मूल्यों के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। ऑनर किलिंग ऐसी ही एक सामाजिक बुराई है, जिसमें परिवार या समुदाय अपनी तथाकथित प्रतिष्ठा की रक्षा हेतु किसी सदस्य की हत्या कर देता है। यह प्रथा न केवल भारतीय समाज में बल्कि विश्व के अनेक देशों में भी देखी जाती है।

आज हम जिस युग में प्रवेश कर चुके हैं, उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) और मानवता का युग कहा जा सकता है। तकनीकी नवाचारों ने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है, चाहे वह विधि हो, मनोविज्ञान हो या मानवाधिकार। ऐसे समय में ऑनर किलिंग जैसी परंपरा; गत हिंसक प्रवृत्तियों का अध्ययन और समाधान केवल सामाजिक या विधिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि तकनीकी और मानवीय दृष्टिकोण से भी आवश्यक हो गया है।

इस शोध-पत्र का उद्देश्य ऑनर किलिंग को मनोवैज्ञानिक, विधिक और मानवाधिकार दृष्टिकोण से समझना है, साथ ही यह भी विश्लेषण करना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस समस्या के समाधान में किस प्रकार सहायक हो सकती है। यह अध्ययन न केवल अपराध की जड़ों को उजागर करेगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि आधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदनशीलता के समन्वय से समाज को अधिक न्यायपूर्ण और सुरक्षित बनाया जा सकता है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण

ऑनर किलिंग का मूल आधार मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दबावों में निहित है। यह केवल एक अपराध नहीं, बल्कि मानसिकता और भावनात्मक असंतुलन का परिणाम है।

1. मनोवैज्ञानिक कारण
पितृसत्तात्मक मानसिकता: परिवार और समाज में पुरुष-प्रधान सोच, जहाँ स्त्री की स्वतंत्रता को "सम्मान" के विरुद्ध माना जाता है।
सामाजिक दबाव: समुदाय और जातीय समूहों का दबाव, जिससे व्यक्ति अपनी "प्रतिष्ठा" बचाने के लिए हिंसा का सहारा लेता है।
भय और असुरक्षा: परिवार को लगता है कि यदि सदस्य सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करेगा तो उनकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी।

2. पीड़ितों पर प्रभाव
आघात और भय: पीड़ितों को निरंतर मानसिक तनाव और भय का सामना करना पड़ता है।
मानसिक स्वास्थ्य संकट: अवसाद, चिंता और आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ सकती है।
सामाजिक अलगाव: पीड़ित परिवार और समाज से कट जाते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास टूटता है।

3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता का योगदान
डेटा विश्लेषण: AI अपराध के पैटर्न और जोखिम क्षेत्रों की पहचान कर सकता है।
परामर्श सेवाएँ: AI-आधारित चैटबॉट्स और हेल्पलाइन पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान कर सकते हैं।
पूर्वानुमान मॉडल: Predictive Models के माध्यम से संभावित ऑनर किलिंग की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।
जागरूकता अभियान: AI-संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म समाज में मानसिक स्वास्थ्य और सम्मान की सही परिभाषा पर जागरूकता फैला सकते हैं।
विधिक दृष्टिकोण
ऑनर किलिंग केवल सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं है, बल्कि यह विधिक व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है। कानून का उद्देश्य नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना है, किंतु जब "सम्मान" के नाम पर हत्या की जाती है, तो यह विधिक और संवैधानिक मूल्यों का सीधा उल्लंघन है।

1. भारतीय विधिक परिप्रेक्ष्य
भारतीय दंड संहिता (IPC): ऑनर किलिंग को अलग अपराध के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु हत्या (धारा 302), आपराधिक षड्यंत्र (धारा 120B), और अवैध सभा (धारा 141–149) के अंतर्गत इसे दंडनीय माना जाता है।
न्यायालयीन दृष्टिकोण: सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में ऑनर किलिंग को "सबसे घृणित अपराध" कहा है और इसे कठोर दंड योग्य माना है।
भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023): नए विधिक ढाँचे में हत्या और हिंसा से संबंधित प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और कठोर बनाया गया है, जिससे ऑनर किलिंग जैसे अपराधों पर नियंत्रण की संभावना बढ़ती है।

2. अंतरराष्ट्रीय विधिक परिप्रेक्ष्य
संयुक्त राष्ट्र (UN): ऑनर किलिंग को मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए सदस्य देशों से इसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाने की अपील की गई है।
अन्य देशों के कानून: पाकिस्तान, जॉर्डन और मध्य-पूर्व के कई देशों में ऑनर किलिंग के विरुद्ध विशेष कानून बनाए गए हैं। यूरोपीय देशों में इसे "Gender-based Violence" की श्रेणी में रखा गया है।

3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विधिक उपयोग
अपराध की भविष्यवाणी: AI आधारित Predictive Policing से उन क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है जहाँ ऑनर किलिंग की संभावना अधिक है।
डिजिटल सबूतों का विश्लेषण: CCTV फुटेज, सोशल मीडिया डेटा और कॉल रिकॉर्ड्स का विश्लेषण करके अपराधियों को शीघ्र पकड़ा जा सकता है।
न्यायिक पारदर्शिता: AI आधारित सिस्टम न्यायालयों को केस मैनेजन्य मेंट और त्वरित निर्णय में सहायता कर सकते हैं।
कानूनी जागरूकता: AI-संचालित प्लेटफॉर्म नागरिकों को उनके अधिकारों और कानूनी उपायों की जानकारी दे सकते हैं।
मानवाधिकार दृष्टिकोण
ऑनर किलिंग को केवल अपराध या सामाजिक समस्या के रूप में नहीं देखा जा सकता; यह मूलतः मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार है, और जब "सम्मान" के नाम पर हत्या की जाती है, तो यह अधिकार सीधे तौर पर नष्ट हो जाता है।

1. जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार
संविधानिक परिप्रेक्ष्य: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ऑनर किलिंग इस अधिकार का घोर उल्लंघन है।
अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य: Universal Declaration of Human Rights (UDHR) के अनुच्छेद 3 में जीवन और सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है।

2. समानता और लैंगिक न्याय
ऑनर किलिंग प्रायः महिलाओं को लक्षित करती है, जिससे लैंगिक असमानता और भेदभाव बढ़ता है।
CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) ऑनर किलिंग को लैंगिक हिंसा की श्रेणी में रखता है।

3. मानवाधिकार संगठनों की भूमिका
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और अंतरराष्ट्रीय संगठन ऑनर किलिंग को रोकने के लिए सक्रिय हैं।
जागरूकता अभियान, पीड़ितों की सुरक्षा और कानूनी सहायता प्रदान करना इन संगठनों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

4. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवाधिकार
निगरानी प्रणाली: AI आधारित निगरानी तंत्र पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।
डेटा-सहायता: मानवाधिकार संगठनों को अपराध के पैटर्न और जोखिम क्षेत्रों की जानकारी मिल सकती है।

जागरूकता अभियान: AI-संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म समाज में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैला सकते हैं।
सुरक्षा नेटवर्क: AI आधारित अलर्ट सिस्टम संभावित खतरों की पहचान कर पीड़ितों को समय पर सहायता दिला सकते हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मानवता का युग

21वीं सदी को अक्सर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मानवता का युग कहा जाता है। तकनीकी नवाचारों ने समाज, विधि, मनोविज्ञान और मानवाधिकार के क्षेत्र में गहरे परिवर्तन किए हैं। ऐसे समय में ऑनर किलिंग जैसी परंपरागत हिंसक प्रवृत्तियों का अध्ययन और समाधान केवल सामाजिक या विधिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि तकनीकी और मानवीय दृष्टिकोण से भी आवश्यक हो गया है।

1. AI के सकारात्मक उपयोग
अपराध रोकथाम: Predictive Policing और डेटा एनालिटिक्स से उन क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है जहाँ ऑनर किलिंग की संभावना अधिक है।
जागरूकता अभियान: AI-संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म समाज में सम्मान और स्वतंत्रता की सही परिभाषा पर जागरूकता फैला सकते हैं।
परामर्श और सहायता: AI-आधारित चैटबॉट्स पीड़ितों को मनोवैज्ञाट निक और कानूनी सहायता प्रदान कर सकते हैं।
सुरक्षा नेटवर्क: AI आधारित अलर्ट सिस्टम संभावित खतरों की पहचान कर पीड़ितों को समय पर सहायता दिला सकते हैं।

2. चुनौतियाँ
निजता का उल्लंघन: निगरानी और डेटा संग्रहण से व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।
एल्गोरिदमिक पक्षपात (Algorithmic Bias): यदि AI सिस्टम में सामाजिक पूर्वाग्रह शामिल हो जाएँ, तो यह न्याय और समानता को प्रभावित कर सकता है।
मानवीय संवेदनशीलता की कमी: तकनीक केवल आँकड़े और पैटर्न देखती है, जबकि मानवता भावनाओं और नैतिकता पर आधारित है।
3. संतुलन की आवश्यकता
तकनीकी नवाचार और मानवीय संवेदनशीलता का समन्वय ही वास्तविक समाधान है।
AI को केवल उपकरण के रूप में उपयोग करना चाहिए, जबकि निर्णय और नीति-निर्माण में मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
विधिक और मानवाधिकार संस्थाओं को AI के उपयोग में नैतिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी।

निष्कर्ष

ऑनर किलिंग एक गहरी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और विधिक समस्या है, जो मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन करती है। यह अपराध न केवल जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को नष्ट करता है, बल्कि समाज में भय, असमानता और पितृसत्तात्मक मानसिकता को भी स्थायी रूप से मजबूत करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मानवता के युग में इस समस्या का समाधान बहुआयामी दृष्टिकोण से ही संभव है। AI आधारित निगरानी, डेटा विश्लेषण, परामर्श सेवाएँ और जागरूकता अभियान ऑनर किलिंग जैसी प्रवृत्तियों को रोकने में सहायक हो सकते हैं। परंतु तकनीक केवल उपकरण है; वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है जब समाज में मानवीय संवेदनशीलता, नैतिकता और शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए।
अतः कहा जा सकता है कि विधिक कठोरता, सामाजिक जागरूकता और तकनीकी नवाचार का संतुलित समन्वय ही ऑनर किलिंग जैसी हिंसक प्रवृत्तियों को समाप्त कर सकता है।
सुझाव (Recommendations)
विधिक सुधार
ऑनर किलिंग को अलग अपराध के रूप में परिभाषित कर कठोर दंड का प्रावधान किया जाए।
न्यायालयों में त्वरित सुनवाई और विशेष पीठ (Fast Track Courts) स्थापित हों।
मनोवैज्ञानिक और सामाजिक उपाय
पीड़ितों और संभावित जोखिम वाले व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराया जाए।
शिक्षा और जागरूकता अभियानों के माध्यम से सम्मान की सही परिभाषा समाज में स्थापित की जाए।
मानवाधिकार संरक्षण
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं को पीड़ितों की सुरक्षा और कानूनी सहायता में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
महिलाओं और युवाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु विशेष कार्यक्रम चलाए जाएँ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग
Predictive Policing और डेटा एनालिटिक्स से जोखिम क्षेत्रों की पहचान की जाए।
AI आधारित चैटबॉट्स और हेल्पलाइन पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान करें।
एल्गोरिदमिक पक्षपात और निजता संबंधी चुनौतियों से बचने के लिए नैतिक मानक बनाए जाएँ।
भविष्य की दिशा
विधिक कठोरता, सामाजिक शिक्षा और तकनीकी नवाचार का संतुलित उपयोग किया जाए।
नीति-निर्माताओं, न्यायपालिका और मानवाधिकार संगठनों को मिलकर एक समन्वित रणनीति तैयार करनी चाहिए।

संदर्भ सूची

Indian Penal Code, 1860 एवं Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.
Shakti Vahini v. Union of India, (2018) 7 SCC 192 – सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय जिसमें ऑनर किलिंग को "सबसे घृणित अपराध" कहा गया।
Law Commission of India, Report on Prevention of Honour Killings, 2012.
United Nations, Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948.
United Nations, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), 1979.

UN Human Rights Council Reports on Honour Killings, 2020–2024.
Rajat Tomar & Dr. Nidhi Sharma, Indian Framework Against Honour Killing, International Journal of Law, Vol. 11, Issue 4, 2025.
Tahura Furqan, Honour Killings and Human Rights: A Legal and International Perspective on South Asian Countries, Hamdard Institute of International Studies, 2024.
Digital Rights Foundation (DRF), Condemnation of Honour Killing in Balochistan and AI-fuelled Gender-Based Violence Online, 2025.
Martha C. Nussbaum, Women and Human Development: The Capabilities Approach, Cambridge University Press, 2000.
Sudhir Kakar, Culture and Honour: Psychological Dimensions of Violence in South Asia, Journal of Social Psychology, 2019.
Suresh Venkatasubramanian, Algorithmic Bias and Fairness in AI Systems, ACM Journal, 2023.
Predictive Policing Reports, RAND Corporation, 2022.
European Union Agency for Fundamental Rights, AI and Human Rights: Opportunities and Risks, 2024.